



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

करण क्रमांक रेस्टो 3512-एक/15

जिला- भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.11.15 	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित । अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि पक्षकार अपने प्रकरण में अधिवक्ता श्री सचितानंद श्रीवास्तव को नियुक्त कर गये थे लेकिन वह प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये । आवेदक के अधिवक्ता की अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण समाप्त कर दिया गया ।</p> <p>2- आवेदक के अधिवक्ता के तर्क से मैं सहमत हूँ । रेस्टों आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी प्र0क0 316-तीन/05 पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं । रेस्टो आवेदन पत्र समाप्त किया जाता है ।</p>	 सदस्य